डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996—आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग

मन्त्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36.—शासकीय महाविद्यालयो के प्रबधन मे जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:—

(क) शासकीय महाविद्यालयो मे जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रबधन को एक समिति को सौपा जाएगा. यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पजीकृत की जाएगी.

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय मे दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिको से स्वेच्छिक रूप से ससाधन एकत्रित करे, विभिन्न गतिविधियो पर फीस लगाए या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करे. इन ससाधनो का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियो के लिये कर सकेगी. समिति जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय मे अच्छा शैक्षिक पर्यावरण बनाने मे सहायक होगी. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये है, उनकी प्रबध समिति को अकादमिक मामलो मे भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितिया स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेगी, पाठ्यक्रमो का निर्धारण करेगी अध्ययन-अध्यापन परीक्षा सचालन एव मूल्याकन की नई पद्धतियो का विकास करेगी.

(ग) समिति के कार्य कलापो का प्रबधन सामान्य परिषद् के निर्देश एव नियत्रण मे किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबधित नगर निकाय, जनपद पचायत एव जिला पचायत के सदस्य, विधायक अथवा सासद मे से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

Scanned with OKEN Scanner

करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् मे क्षेत्रीय सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होगे.

इस परिषद् मे मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभावक, पूर्व विद्यार्थियो, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होगे. सामान्य परिषद् मे अभिभावको एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होगे.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग मे से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा.

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो.

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा:—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से.

2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान मे रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से.

3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से.

4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों मे एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से. सामान्य परिषद में नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं. महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होगे.

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष मे दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी. परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी. परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रबंधन के लिये प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी.

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलो के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन मे भी सहायक होगी. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयो में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होगे. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होगे. प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह मे कम से कम एक बार अवश्य होगी.

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होगे. बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होगें. वित्त समिति महाविद्यालय मे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय ससाधनो को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप मे रखा जायेगा. इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमो प्रक्रिया के अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय की अधोसरचना के विकास के लिये किया जायेगा. सस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकेक्षणो द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियो की व्यय व्यवस्था एव लेखा सधारण तथा अकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी.

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोशल, गेदरिग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेगे.

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी. तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी. ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी.

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानो के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये है उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होगे. अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य कलापो में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबध को सुनिश्चित करेगे. इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियो एवं विशेषज्ञो तक ही सीमित रहेगी.

(झ) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी. महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि मे से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एव महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एव अशैक्षणिक कर्मचारियो की नियुक्तिया राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयो के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमो के अनुसार की जावेगी. भविष्य मे ये अधिकार उन समितियो को दिये जायेगे, जिनकी उपलब्धिया उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानो के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जाच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयो में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

नियत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1996.

Scanned with OKEN Scanner

877/97 3/7/97

रूप क्रमांक : 2
(देखिये नियम 7)
मध्यप्रदेश शासन

मोनो

-:: समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र ::-

क्रमांक :- स॰ स॰/जिला-दुर्ग/पं॰क्र॰-4120,

यह प्रमाणित किया जाता है कि "शासकीय महाविद्यालय वैशाली-नगर भिलाई, पूर्व छात्र/छात्रा संघ समिति" समिति जो वैशाली नगर भिलाई तहसील - दुर्ग - - - - जिला - दुर्ग - - - - - में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 24/6/1997 - - - - - - - - - को पंजीयित की गई है।

दिनांक - चौबीस - माह - जून - - - सन् 1997

(हस्ताक्षर)

समितियों के अति॰ रजिस्ट्रार